

7928

## कार्यालय आवकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या: /सात लाई0-वी-86/एम०आर०पी० (खण्ड-3)/2023-24

प्रेषक,

आवकारी आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक, जुलाई, 18, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अग्रिम आदेशों तक के लिए देशी मदिरा (36% v/v) की थोक आपूर्ति दर एवं अधिकतम फुटकर विक्री मूल्य (MRP) अस्थाई रूप से निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आयुक्तालय के पत्र संख्या 21966/सात लाई0-वी-86/एम०आर०पी० (खण्ड-3)/2023-24 देहरादून दिनांक मार्च, 31, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अग्रिम आदेशों तक के लिए देशी मदिरा (36% v/v) की थोक आपूर्ति दर एवं अधिकतम फुटकर विक्री मूल्य (MRP) अस्थाई रूप से निर्धारित की गयी थी में आवकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 के नियम-12.2 में दिये गये प्राविधानों के अनुपालन में आयुक्तालय के पत्र संख्या 21966/सात लाई0-वी-86/एम०आर०पी० (खण्ड-3)/2023-24 देहरादून दिनांक मार्च, 31, 2023 में उल्लिखित तालिका के 07 से 14 में 180 एम०एल० की धारिता के पवों में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

| Sr. No. | Particulars                  | Nips (180ML) |
|---------|------------------------------|--------------|
| 7       | Pratifaal                    | 3.20         |
| 8       | Total (5+6)                  | 14.65        |
| 9       | Women Emp./Sports/Cowwelfare | 0.75         |
| 10      | MGD @270BL                   | 48.60        |
| 11      | Total (8+9+10)               | 64.00        |
| 12      | Profit @20%                  | 12.80        |
| 13      | Total (11+12)                | 76.80        |
| 14      | CL MRP(Rs. 5/- Rounded)      | 80           |

उपरोक्त कॉलम 09 में उल्लिखित Women Emp./Sports/Cowwelfare की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जमा करानी होगी।

भवदीय

(ए०आर० समवाल)

अपर आवकारी आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।

7929-35

संख्या: /सात लाई0-वी-86/एम०आर०पी० (खण्ड-3)/2023-24 देहरादून: तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आवकारी महोदय उत्तराखण्ड शासन।
2. आवकारी आयुक्त महोदय, उत्तराखण्ड को उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में।
3. समस्त संयुक्त आवकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त उप आवकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5. संयुक्त आवकारी आयुक्त, आई०टी०, अनुभाग, मुख्यालय, देहरादून।
6. समस्त जिला आवकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड को उपरोक्त के अनुपालनार्थ।
7. समस्त देशी/विदेशी मदिरा आपूर्तिक इकाईयों, उत्तराखण्ड को उपरोक्त के अनुपालनार्थ।

(ए०आर० समवाल)

अपर आवकारी आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।